



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण, 1942 (श०)

संख्या- 363 राँची, मंगलवार,

11 अगस्त, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

17 जुलाई, 2020

संख्या-5/आरोप-1-26/2017-6941 (HRMS)-- श्री धीरेन्द्र कुमार, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटकमसांडी, हजारीबाग के विरुद्ध उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-575/सी0, दिनांक-18.02.2017 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-‘क’ में श्री कुमार के विरुद्ध मुख्यालय में आवासन नहीं करने, विधि-व्यवस्था कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने, विकास कार्यों में अभिरुचि नहीं लेने, विकास कार्यों में वित्तीय प्रक्रियागत अनियमितता तथा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-3254, दिनांक 20.03.2017 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी है, जिसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-1332, दिनांक 17.11.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-9136, दिनांक 17.12.2018 द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग से मंतव्य की माँग की गयी, उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-129/स्था0, दिनांक 11.02.2020 द्वारा श्री धीरेन्द्र कुमार, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच), तत्कालीन प्रखण्ड

विकास पदाधिकारी, कटकमसांडी, हजारीबाग के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, हजारीबाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, उपायुक्त, हजारीबाग से प्राप्त मंतव्य से सहमत होते हुए श्री धीरेन्द्र कुमार, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटकमसांडी, हजारीबाग को आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	DHIRENDRA KUMAR 110031260949	श्री धीरेन्द्र कुमार, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटकमसांडी, हजारीबाग को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
